

राष्ट्रीय /राज्य महामार्गालगतच्या अंतरात बसत नसलेल्या मद्दविक्री अनुज्ञप्तीबाबतच्या माहिती


विवरणपत्र-1

अ.क्र.	अनुज्ञप्ती क्रमांक	गावाचे नाव	परिपत्रक 1-2-2005 नुसार महामार्गापासुन चे अंतर मिटरमध्ये	मुंबई विदेशी मद्य नियम 1953 च्या नियम 45-3 (आयसी)नुसार अंतर	महामार्गाच्या मध्यापासुन अनुज्ञप्ती पर्यन्तचे सरळ रेषेतील प्रत्यक्ष अंतर मिटरमध्ये	शेरा मंजुरीचा दिनांक
1	एफएल-3/36	गोरेगाव	50	75	18.40 *	10-8-2001
2	एफएल-3/11	गोरेगाव	50	75	19.40	1-11-1991
3	एफएल-3/51	मुरदोली	50	75	53.20	17-4-2006
4	एफएल-3/52	पानगाव	50	75	42.00*	13-11-2006
5	एफएल-3/56	कुंभारटोली	50	75	29.00*	18-9-2007
6	एफएल-3/20	रिसामा	50	75	34.70	15-2-1999
7	एफएल-3/35	रिसामा	50	75	20.40*	8-8-2001
8	एफएल-3/14	रिसामा	50	75	20.86	15-5-1993
9	एफएल-3/89	किंडकीपार	50	75	23.25*	23-7-2010
10	एफएल-3/75	सौंदड	50	75	29.70	6-7-2009
11	एफएल-3/25	कोहमारा	50	75	21.70*	19-5-2003
12	एफएल-3/40	कोहमारा	50	75	64.00*	11-11-1999
13	एफएल-3/67	खुर्शीपार	50	75	74.00*	13-2-2009
14	एफएल-3/103	सडकअर्जुनी	50	75	20.20	7-12-2012
15	एफएल-3/69	नवाटोला/देवरी	50	75	48.00	13-2-2009
16	एफएल-3/95	देवरी	50	75	40.00	4-1-2012
17	एफएल-3/18	देवरी	50	75	62.00	24-12-1997
18	सीएल-3/46	गोरेगाव	50	75	17.50	2-11-1973
19	सीएल-3/48	गोरेगाव	50	75	21.30	2-11-1973
20	सीएल-3/45	गोरेगाव	50	75	18.70	2-11-1973
21	सीएल-3/54	कोहमारा	50	75	32.80	20-10-1973
22	सीएल-3/58	डव्वा	50	75	36.20	20-10-1973
23	एफएलबीआर-2/05	सौंदड	50	75	32.00	23-7-2010

आदेशात पुढे बदल होऊ शकतो

* सदर परवानाकक्ष मंजुरीचेवेळीचे प्रस्तावासोबत गावठानाचे प्रमाणपत्र सादर केलेले आहेत. इतर परवानाकक्षाचे प्रस्तावासोबत गावठानाचे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत.

मा.जिल्हाधिकार्यांचे माध्यमेने.


 जिल्हाधिकारी, गोंदिया करिता.